

## वलिफुल डफिऑल्टरस के लयि लुक-आउट सरकुलर

### प्रलिमिंस के लयि:

वलिफुल डफिऑल्टर, [NPA](#), [RBI](#), [सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक \(PSB\)](#) ।

### मेन्स के लयि:

चुनौतयिँ, वलिफुल डफिऑल्टर की रोकथाम, NPA समाधान के प्रावधान, बैंकिंग क्षेत्र, ऋण वसूली से संबंघति मुद्दे और प्रावधान ।

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

## चर्चा में क्योँ?

वर्ष 2018 से अब तक छह [सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक \(PSB\)](#) ने [वलिफुल डफिऑल्टर](#) को अन्य देशों में जाने से रोकने के लयि 1,071 लुक-आउट सरकुलर (LOC) जारी कयि हैं ।

- वलिफुल डफिऑल्टर वे होते हैं [जानबूझकर अपना ऋण नहीं चुकाते हैं](#), भले ही वे ऐसा करने में सक्षम हों ।

## लुक-आउट सरकुलर (LOC) क्या है?

### परचिय:

- यह नोटसि पुलसि, जाँच एजेंसी या यहाँ तक कि बैंक द्वारा वांछति [किसी भी व्यक्तिको](#) नरिदषिठ भूमि, वायु और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से देश छोड़ने या देश में प्रवेश करने से रोकने के लयि है ।
- गृह मंत्रालय के अधीन [आवरजन ब्यूरो](#) ऐसे व्यक्तियों को देश में प्रवेश करने या देश छोड़ने से रोकने के लयि ज़मिमेदार है, यद उनके खलिफ कोई पूरव अधसिचुना हो ।

- पूरे देश में कुल 112 [आवरजन जाँच चौकयिँ](#) स्थति हैं ।

### LOC कौन जारी कर सकता है:

- बड़ी संख्या में एजेंसयिँ लुकआउट सरकुलर जारी कर सकती हैं;
  - [केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो \(Central Bureau of Investigation- CBI\)](#)
  - [प्रवरतन नदिशालय \(Enforcement Directorate- ED\)](#)
  - [राजसव खुफयिा नदिशालय \(Directorate of Revenue Intelligence- DRI\)](#)
  - [आयकर वभिग](#)
  - राज्य पुलसि और खुफयिा एजेंसयिँ ।
- LOC जारी करने वाला अधिकारी [ज़लिा मजसिद्रेट](#) या [पुलसि अधीक्षक](#) या केंद्र सरकार में [उप सचवि](#) के पद से नमिन पद वाला नहीं होना चाहयि ।

### संशोधन और वैधता:

- LOC को केवल [प्रवरतक](#) के अनुरोध पर ही संशोधति कयि हटाया या वापस लयि जा सकता है ।
- LOC [अधिकतम 12 माह तक](#) वैध रहेगी और यद एजेंसी की ओर से कोई अन्य अनुरोध नहीं आता है, तो इसका [स्वतः नवीनीकरण नहीं](#) होगा ।
- [आवरजन ब्यूरो](#), [आवरजन जाँच चौकयिँ \(Immigration Check Posts- ICP\)](#) पर LOC वाले व्यक्तियों के वरिद्ध काररवाई करने तथा उन्हें बनाए रखने के लयि ज़मिमेदार है, जैसा कि भूल एजेंसी द्वारा नरिदेश दयिा जाता है ।

### सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ऋण-पत्र जारी करने की शक्ति:

- इससे पहले, वर्ष 2018 से [बैंकों को ऐसे व्यक्तियों के खलिफ भी LOC जारी करने का अधिकार दयिा गया था](#) जो देश के आर्थिक हतियों को संभावति रूप से हानि पहुँचा सकते थे ।
- हालाँकि, हाल ही में [बॉम्बे उच्च न्यायालय](#) ने नरिणय सुनाया कि [सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक](#) कथति ऋण चूककरत्ताओं के

खिलाफ LOC जारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि न्यायालय ने इसे किसी कानून या अधिनियम के अभाव में **मौलिक अधिकारों** का उल्लंघन माना है।

- यह नरिणय 2018 के सरकारी कार्यालय जज्ञापन को पलट देता है, जसिने बैंकों को LOC जारी करने का अधिकार दिया है।

## वलिफुल डफिऑल्टर्स (Wilful Defaulters) कौन हैं?

- **भारतीय रज़िर्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI)** जानबूझकर चूक करने वालों को ऐसे उधारकर्त्ता के रूप में परभाषति करता है जो नमिनलखिति मानदंडों में से एक या अधिक को पूरा करते हैं:
  - पर्याप्त धनराशि होने के बावजूद **जानबूझ कर बकाया राशिका भुगतान न करना**।
  - ऋण राशिको उस उद्देश्य के अलावा अन्य कार्यों में लगाना जसिके लयि उसे उधार लयिा गया था।
  - ऋण राशिको इस प्रकार **हड़पना (Syphoning)** कविह पुनर्भुगतान के लयि उपलब्ध न हो।
- **न्यूनतम सीमा:** कसिी उधारकर्त्ता को वलिफुल डफिऑल्टर घोषति करने के लयि न्यूनतम ऋण राशि **25 लाख रुपय या उससे अधिक नरिधारति है**।
  - बड़े डफिऑल्टर से तात्पर्य ऐसे उधारकर्त्ता से है, जसिका बकाया शेष **1 करोड़ रुपय या उससे अधिक है** तथा जसिके खाते को संदग्धि या घाटे वाली श्रेणी में रखा गया है।

## वलिफुल डफिऑल्टर्स के आर्थिक नहितार्थ क्या हैं?

- **क्रेडिट बाज़ार परभाव:**
  - **तरलता संबंधी बाधाएँ:** वलिफुल डफिऑल्टर्स को तरलता संबंधी बाधाओं के कारण नए ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है। ऋणदाता उन्हें नए व्यवसाय के लयि अतिरिक्त ऋण या वतितपोषण प्रदान करने में संकोच करते हैं।
  - **बाज़ार में प्रतषिठा:** वलिफुल डफिऑल्टर्स के रूप में चहिनति कयि जाने से उधारकर्त्ता की प्रतषिठा धूमलि होती है तथा भवषिय में पूंजी जुटाने या ऋण प्राप्त करने की उनकी क्षमता परभावति होती है।
    - दसिंबर 2023 तक बैंकों ने 353,129 करोड़ रुपय के ऋण वाले 17,713 खातों को वलिफुल डफिऑल्ट के रूप में वर्गीकृत कयिा था।
- **इक्विटी बाज़ार (Equity Markets) और IPO:**
  - **SEBI प्रतबिंध:** **भारतीय प्रतभित और वनिमिय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India- SEBI)** वलिफुल डफिऑल्टर्स वाली कंपनयिों (प्रवर्तकों या नदिशकों सहति) को **आरंभिक सार्वजनिक प्रसताव (Initial Public Offers- IPO)** शुरू करने या **इक्विटी शेयर** जारी करने से रोकता है।
    - यह प्रतबिंध कंपनयिों की वकिस संभावनाओं और नविशकों के वषिवास को बाधति करता है।
- **दवाला और शोधन अक्षमता संहति (Insolvency and Bankruptcy Code- IBC):**
  - समाधान योजनाओं से बहषिकरण:
    - **IBC वषिष रूप से जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों को उस कंपनी के लयि समाधान योजना प्रसतुत करने से प्रतबिंधति करता है**, जसि पर उन्होंने ऋण नहीं चुकाया है।
    - **वलिफुल डफिऑल्टर्स को समाधान योजनाओं में भाग लेने की अनुमति देने से नैतिक संकट उत्पन्न हो सकता है**, ऋणदाताओं को जोखमि में डाला जा सकता है तथा ज़मिमेदारी से ऋण लेने को हतोत्साहति कयिा जा सकता है।
- **NPA संचयन:**
  - वलिफुल डफिऑल्टर्स से बैंकिंग प्रणाली में **गैर-नषिपादति आसतयिों (Non-Performing Assets- NPA)** में वृद्धि होती है, जसिसे बैंक का लाभ और शेयरधारक मूल्य कम हो सकता है, तथा समग्र अर्थव्यवस्था परभावति हो सकती है।

## बैंकों द्वारा वलिफुल डफिऑल्टर्स को कैसे रोका जा सकता है?

- **ऋण वसूली न्यायाधकिरण (Debt Recovery Tribunals- DRTs):**
  - इसका उद्देश्य ऋण वसूली के लयि एक त्वरति तंत्र उपलब्ध कराना है, जहाँ बैंक शीघ्र ऋण वसूली और परसिंपत्त किरुकी के लयि DRT के समक्ष मामला दायर कर सकते हैं।
  - इसकी स्थापना **बैंकों एवं वतितयि संसथाओं को देय ऋण वसूली अधनियम, 1993** के तहत की गई थी।
- **IBC और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधकिरण (National Company Law Tribunal- NCLT):**
  - कंपनयिों से जुड़े बड़े चूक के लयि बैंक **IBC 2016** के तहत **राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधकिरण (NCLT)** से संपर्क कर सकते हैं।
  - IBC दवालयिापन को हल करने और बकाया राशिवसूलने के लयि **समयबद्ध रूपरेखा प्रदान** करता है।
    - IBC के माध्यम से ऋण वसूली की सफलता दर में सुधार हो रहा है। मार्च 2023 तक **भारतीय दवाला और दवालयिापन बोर्ड (Insolvency and Bankruptcy Board of India- IIBI)** ने IBC मामलों के माध्यम से 8.3 लाख करोड़ रुपय (USD1.03 ट्रिलियन) के समाधान मूल्य की रपिर्ट की।
- **वतितयि आसतयिों का प्रतभितकिरण एवं पुनरनरिमाण तथा प्रवर्तन प्रतभित अधनियम, 2002 का उपयोग:**
  - **SARFAESI अधनियम** बैंकों को लंबी न्यायालयी प्रक्रियिओं के बिना चूक के मामले में भूमि और भवन जैसी **सुरक्षति संपत्तयिों** पर कब्ज़ा करने का अधिकार देता है। यह भुगतान न करने के परिणामों को तेज़ और अधिक प्रभावी बनाकर चूक होने से रोक सकता है।
- **भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) के दशानरिदेश:**
  - **KYC, धन शोधन रोधी** पर **RBI** के दशानरिदेश ऋण स्वीकृति से पहले पूरी तरह से जाँच-पड़ताल करने पर ज़ोर देते हैं।
    - **KYC** के तहत बैंकों को वतितयि जोखमि या संदग्धि गतविधियिों वाले **व्यक्तयिों या व्यवसायों की पहचान** करने के

लिये उधारकर्त्ताओं की वसित्त जानकारी एकत्र करनी होती है।

- धन शोधन रोधी प्रावधानों से संभावति धन शोधन योजनाओं की पहचान करने में सहायता मलिगी तथा उन लोगों को ऋण देने से बचा जा सकेगा जो जानबूझकर ऋण न चुकाने की योजना बना रहे हों।

■ **कानूनी कार्रवाई और काली सूची में डालना:** बैंकों को आवश्यकता पड़ने पर वलिफुल डफिऑल्टर्स वालों के वरिद्ध आपराधिक कार्यवाही शुरू करनी चाहिये।

- वलिफुल डफिऑल्टर्स को ब्लैकलिस्ट करने से भवषिय में उसके लिये ऋण या नविश प्राप्त करना बहुत कठनि हो जाएगा, जसिसे वह जानबूझकर ऋण न चुकाने से हतोत्साहति हो जाएगा।

**दृष्टि मेन्स प्रश्न:**

**प्रश्न:** वलिफुल डफिऑल्टर्स के आर्थिक प्रभावों का वश्लेषण कीजिये तथा जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों से प्रभावी ढंग से नपिटने के लिये एक व्यापक रणनीतिका सुझाव दीजिये।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**??????????:**

**प्रश्न.** भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संचालन के संबंध में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजिये: (2018)

1. पछिले दशक में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूँजी के अंतरवेशन में लगातार वृद्धि हुई है।
2. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुव्यवस्थति करने के लिये मूल भारतीय स्टेट बैंक के साथ उसके सहयोगी बैंकों का वलिय कयिा गया है।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?**

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

**उत्तर: (b)**